न्यायालयः–अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर–01, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या–154/2021

स्टेट बनाम बहाजुद्दीन आदि।

दिनांक–22.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण जरिये विद्वान अधिवक्ता उपस्थितण विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हो। अभियुक्तगण मो० आरिफ उर्फ मुन्ना व दानिश की ओर से प्रार्थना पत्र 78 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि घटना के दिन प्रथम सूचना कर्ता पी0 डब्लू01 अबूतलहा ने जो अपना इण्टरव्यूव टी०वी० चैनल "सबसे तेज" को दिया कि मैने इतना पूछने की जहमत नही किया मैं खून देख कर घबरा गया और गाड़ी मंगाया उसमें बैठा कर फरिहा ले गया फरिहा ले जाने के बाद वहाँ के डाक्टर ने कहा कि इनको आजमगढ़ लेकर जाये मै वहा से रानी की आजमगढ़ सदर ले गया। वहाँ के डाक्टर ने बताया कि मृत्यु हो चुकी है। चैनल के संवादाता के द्वारा पूछने पर गवाह अबूतलहा ने बताया कि जो लोग वहाँ रहे होंगे वह बतायेंगे मैं घर में था। में नही देख पाया कौन–कौन था मैने देखा नही बच्चे बता रहै है छः लोग थे इसे संबंधित रिर्काडिंग की सी.डी. दाखिल की जा रही है। अतः सी.डी. को पत्रावली में शामिल करने की याचना कि गई है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आपत्ति कागज संख्या 79 ख दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित इंन्टरव्यू से साक्षी पी0 डब्लू01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज सं० 16 में सर्वथा इनकार दिया है। साक्षी पी0 डब्लू01 ने अपनी प्रति परीक्षा के प्रष्ठ सं० 16 में कथन दिया कि मैंने मीडिया को कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था, मैने कोई बयान नहीं दिया था, जिससे पुष्ट होता है कि उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में कथित किसी प्रकार का न तो कोई इन्टरव्यू दिया और न ही कोई बयान दिया, इस कारण प्रार्थना में उल्लिखित कथित सी.डी. को जिसकी कि प्रमाणिकता स्वयंमेव संदिग्ध है, को प्रत्रावली पर रखे जाने की न तो अनुमति दिया जाना विधि सम्मत होगा और न ही कथित सी.डी. के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दिया जाना विधि सम्मत होगा। अतः प्रार्थना पत्र 78 ख निरस्त किये जाने की याचना कि गयी है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

साक्षी पी०डब्लू01 अबूतलहा से प्रतिपरीक्षा के दौरान बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सी०डी० प्रस्तुत करते हुए कथित सी०डी० की अन्तर्वस्तु के सम्बंध में प्रतिपरीक्षा करना चाहा, तो अभियोजन द्वारा आपत्ति की गयी। बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 78 ख के साथ सी०डी० सलंग्न कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो अभियोजन द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न सी०डी० के सम्बंध में प्रतिपरीक्षा किया जाना पोषणीय न होना कहा गया। अभियोजन का तर्क है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 ने मीडिया से कोई इण्टरव्यीव करने से इनकार कर दिया था और यह भी कथन किया है कि वह जवाब देने की स्थिति में नही था। इसके अतिरिक्त अभियोजन का यह भी तर्क है कि सी०डी० की कोई प्रमाणिकता नही है। सी०डी० संदिग्ध है तथा विधि सम्मत भी नही है। कथित सी०डी० के साथ धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम या किसी अथारटी का कोई भी प्रमाणपत्र भी नही है। प्रस्तुत मामले में यदि किसी प्रकार की कोई सी०डी० थी तो अभियुक्तगण द्वारा उसे दौरान विवेचना क्यों नही दिया गया, इसका भी उल्लेख नही किया गया है। कथित सी०डी० अभियुक्त के पास कैसे और कब आयी उक्त पर अभियोजन की आपत्ति है। ऐसी स्थिति में उक्त सी०डी० की अन्तर्वस्तु जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह है, को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 या 157 के अन्तर्गत प्रतिपरीक्षा की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत नही है। अभियुक्त समय आने पर इलेक्ट्रानिक, दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य सफाई साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र 78 ख निरस्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार आपत्ति 79 ख निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मो० आरिफ उर्फ मुन्ना व दानिश की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 78 ख निरस्त किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण समय आने पर इलेक्ट्रानिक, दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य, सफाई साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तद्नुसार आपत्ति 79 ख निस्तारित की जाती है। कथित सी०डी० आवेदक/अभियुक्तगण को वापस की जाये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 24.08.2023 को पेश हो।

दिनांक 22.07.2023

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़।

Digitally signed by SATISH CHANDRA DWIVEDI
Date: 2023.07.22 15:39:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court